

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.04.2024

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना खोराबार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 532/21 धारा 419/420/467/468/ 471/474/120बी भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र पाण्डेय पुत्र डेवा पांडेय नि0गण साहूकोल उर्फ मिर्जापुर थाना खोराबार जिला गोरखपुर व 2. दिलीप पान्डेय पुत्र डेवा पांडेय नि0 साहूकोल उर्फ मिर्जापुर थाना खोराबार जिला गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा अपने चाचा को नावलद दिखा कर उनकी जमीन का अवैध व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, धोखाधड़ी से बेच दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. धर्मेन्द्र पाण्डेय पुत्र डेवा पांडेय नि0गण साहूकोल उर्फ मिर्जापुर थाना खोराबार जिला गोरखपुर
2. दिलीप पान्डेय पुत्र डेवा पांडेय नि0 साहूकोल उर्फ मिर्जापुर थाना खोराबार जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 532/21 धारा 419/420/467/468/ 471/474/ 120बी भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार राय चौकी प्रभारी ई0 कालेज जनपद गोरखपुर
2. का0 कविन्दर कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0उदय सरोज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर